

(ii) दो गई एजेंसियां

स्थान	आशय-पत्र की तिथि
1. इंदौर	18.4.84
2. इंदौर	30.4.84
3. इंदौर	29.5.84
4. इंदौर	30.5.84
5. इंदौर	11.6.84

(ख) जी हां ! एक मामले को छोड़ कर, जिसमें सरकार द्वारा सहानुभूति आधार पर एजेंसी दी गई थी, अन्य व्यक्तियों को निर्धारित चयन मार्गदर्शी सिद्धान्तों अथवा उप-एजेंसियों की प्रोन्नति की नीति के अनुसार एजेंसियां दी गई हैं ।

(ग) 1984-85 के दौरान, तेल उद्योग द्वारा 5 एजेंसियां दी गई हैं, जिनके ब्यौरे निम्नप्रकार हैं :

नाम	श्रेणी	आशय-पत्र की तिथि
1. श्री हेमन्त मिश्रा	बैंरोजगार स्नातक	18.4.84
2. श्री सुखबीर सिंह	„	30.4.84
3. श्रीमती सरला चौधरी	„	29.5.84
4. श्रीमती हर्ष चौहान	„	30.5.84
5 श्री गोपाल दाम गुरनानी	„	11.6.84

विनोद और विमल टेक्सटाइल मिल्स उज्जैन के सेवानिवृत्त कर्मचारियों की भविष्य निधि के संबंधित मामले

4021. श्री सत्य नारायण जटिया : क्या श्रम और पुनर्वासि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विनोद और विमल टेक्सटाइल मिल्स उज्जैन, मध्य प्रदेश के सेवा निवृत्त कर्मचारियों की भविष्य निधि के कितने मामलों का निपटान होना बाकी है ; और

(ख) इन संबंधित मामलों में कितनी धन-राशि अंतर्ग्रस्त है और इस धनराशि का भुगतान कब तक किए जाने की सम्भावना है ?

श्रम और पुनर्वासि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री धर्मबीर) : (क) भविष्य निधि प्राधिकारियों के अनुसार, मैसर्स विमल एंड विनोद मिल्स के सेवा-निवृत्त कर्मचारियों के बारे में 362 भविष्य निधि दावे विभिन्न तरीकों से संबन्धित पड़े हैं ।

(ख) अन्तर्ग्रस्त धन-राशि लगभग 16.72 लाख है । जैसे ही सेवा-निवृत्त कर्मचारियों के बारे में उस अवधि के लिए, जब इन मिलों को कर्मचारी भविष्य निधि योजना के प्रवर्तन से छूट दी गई थी, पिछले सचयन और अन्य दस्तावेज मिलों से प्राप्त हो जाते हैं, संबंधित पड़े मामलों का निपटान कर दिया जाएगा ।